फर्द अहकाम

(नियम – 26)

व अदालत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

स्म मुकदमा पूराराम बनाम जगुराम मु.नं. 173 वर्ष 2017

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री जगदीश चौधरी एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द व हस्तानन्तरण करने तथा रहन के लिए आमादा हो रहे है। प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 2/6/17 तक विवाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 1.37 हे. अवस्थित ग्राम चक चारावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के बेचान नहीं करे एवं रिकार्ड मे यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्याय[illegible] विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन/ [illegible] अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 2/6/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 18:11:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बनाम

...मुकदमा .... नम्बर .... वर्ष ....

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	13/1/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने [illegible] स्थगन कर रखा है। [illegible] आदेशानुसार दिनांक 28/3/22 को पेश हो।	
	28/3 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/7/22 को पेश हो।	
	8/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ हैं। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 28/7/22 को पेश हो।	
	28/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 27/10/22 को पेश हो।	
	27/10/22 वकुलाप उप०। बहस हेतु अवसर चाहा। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 20/1/2022 को पेश हो।	
	20/1/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/2/23 को पेश हो।	
	23/2/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/5/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21/6/23 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 23/6/23 नियत की जाती है। Sd

23/6/23 वकुलाय उप०। बहस हेतु अवसर ~~चाहा। वास्ते बहस पत्रावली~~ दिनांक 22/8/2023 को पेश हो। Sd

22/8/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 3/11/23 को पेश हो। Sd

3/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 15/1/24 को पेश हो। Sd

15/1/24 पत्राव[illegible] हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 26/3/24 को पेश हो। Sd

26/3/24 पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवायी गयी। आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थी का [illegible] अनुपस्थिति [illegible] अदम पैरवी [illegible] में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल [illegible] बाद [illegible] दफ्तर दाखिल हो। Sd

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner